Himachal Pradesh Board of School Education Dharamshala

क्रमांकः हि0शि0बो / 03 / Vol-III / Part File - 1672-90 दिनांक :– 11.09.2020

अधिसूचना

अधिसूचित किया जाता है कि दिनांक 02.09.2020 को प्रातः 11:00 बजे माननीय शिक्षा मन्त्री, हिमाचल प्रदेश सरकार, श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी की अध्यक्षता में शिमला से Video Conferencing के माध्यम से प्रदेश के सचिव (शिक्षा), निदेशक शिक्षा (उच्चतर / प्रारम्भिक), राज्य परियोजना निदेशक (समग्र शिक्षा), समस्त उप निदेशक शिक्षा (उच्चतर / प्रारम्भिक), प्रधानाचार्य, SCERT सोलन, उप मंडल स्तर पर स्थित सरकारी एवं संबद्धता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापकों, प्रदेश के अध्यापक संघों के प्रधान व महासचिव, बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम में कटौती करने के लिये गठित समिति के सदस्यों, विषय–विशेषज्ञों, प्रदेश के छात्रों व उनके अभिभावकों के साथ COVID-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु नवीं से बारहवीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम में 30% कटौती करने अथवा बिना पाठ्यक्रम में कटौती किये प्रश्न पत्रों में 30% अधिक वैकल्पिक प्रश्न बढ़ाने बारे बैठक का अयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लियाः–

1. श्री राजीव शर्मा, भा0प्र0से0, सचिव (शिक्षा), हि0प्र0 सरकार।
2. श्री सुरेश कुमार सोनी, अध्यक्ष, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड।
3. श्री शुभकरण सिंह, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश।
4. श्री आशीष कोहली, राज्य परियोजना निदेशक (सम्रग शिक्षा)।
5. श्री अक्षय सूद, सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड।
6. समस्त उपनिदेशक शिक्षा (उच्चतर / प्रारम्भिक / Inspection wing) हिमाचल प्रदेश।
7. सरकारी एवं सम्बद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के संगठनों / संघों के प्रधान व महासचिव।
8. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला द्वारा गठित समिति के सदस्य।
9. विषय–विशेषज्ञ।
10. प्रदेश के अध्यापक संघों के प्रधान व महासचिव।
11. स्कूलों के छात्र व उनके अभिभावक।

सर्वप्रथम सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने Video Conferencing में भाग ले रहे समस्त अधिकारियों, स्कूलों के संगठनों / संघों के प्रतिनिधियों व प्रदेश के छात्रों व उनके अभिभावकों का स्वागत किया। तदोपरान्त माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय की अनुमति से बैठक आरम्भ की गई।

बैठक में माननीय शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा COVID-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के संबध में विस्तृत चर्चा की गई। COVID-19 वैश्विक महामारी के कारण स्कूली शिक्षा प्रभावित हुई है जिस कारण प्रदेश के छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है। उक्त महामारी के कारण प्रदेश के छात्रों का परीक्षा की दृष्टि से मानसिक तनाव कम करने के लिये शिक्षा बोर्ड द्वारा दो

विकल्प रखे गये। एक CBSE की तर्ज़ पर पाठ्यक्रम में 30% कटौती करना व दूसरा बिना पाठ्यक्रम में कटौती किये प्रश्न पत्रों में 30% अधिक वैकल्पिक प्रश्नों का समावेश करना। शिक्षा बोर्ड द्वारा जो 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है उसमें केवल ऐसी पाठ्य सामग्री हटाई गई है जो पिछली कक्षाओं में पहले ही पढ़ाई जा चुकी है। इस क्रम में एक बैठक दिनांक 21.08.2020 को भी आयोजित की गई थी। जिसमें माननीय शिक्षा मन्त्री द्वारा बोर्ड को यह निर्देशित किया गया था कि इन विकल्पों को बोर्ड की website पर डाला जाये ताकि अध्यापकों और आम जनता के सुझावों पर भी विचार किया जा सके। बोर्ड की website पर इन विकल्पों को प्रकाशित किया गया और हर स्कूल के Login ID पर पूरा प्रारूप डाला गया। जो विचार प्राप्त हुये हैं उन्हें भी माननीय मन्त्री जी के समक्ष रखा गया। समस्त प्रतिभागियों जिनकी संख्या 350 तक थी, से विस्तृत चर्चा उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1. शैक्षणिक सत्र 2020–21 की कक्षा पहली से बारहवीं (नियमित) तथा राज्य मुक्त विद्यालय (SOS) की मिडल, दसवीं व बारहवीं कक्षाओं की वार्षिक लिखित व प्रायोगिक परीक्षा–2021 70% पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जायेंगी।

2. विद्यार्थियों को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई परेशानी न हो, इसके दृष्टिगत स्कूलों/अध्ययन कन्द्रों द्वारा पूरे पाठ्यक्रम को NCERT के Learning outcomes और Alternative Academic Calendar के आधार पर विद्यार्थियों को पढ़ाया जायेगा।

3. कक्षा पांचवीं, आठवीं, नवीं से बारहवीं की वार्षिक परीक्षा–2021 के लिये जो प्रश्न पत्र 70% पाठ्यक्रम के आधार पर निर्धारित किये जायेंगें उनमें 30% अधिक विकल्प प्रश्न पत्र में दिये जाऐंगे।

4. कक्षा पहली से चौथी, छठीं व सातवीं की वार्षिक परीक्षा–2021 परीक्षाओं के लिये 30% पाठ्यक्रम में कटौती और 30% अधिक विकल्प प्रश्न पत्र में उपलब्ध करने हेतु संबन्धित विद्यालय ही प्राधिकृत होगा।

5. बार्षिक परीक्षा 2020–21 के लिये नवीं से बारहवीं कक्षाओं के विषय जिनमें 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है, उसकी कक्षावार/विषयवार विवरण अनुबन्ध A-W पर संलग्न है।

6. कक्षा पांचवीं व आठवीं के पाठ्यक्रम में 30% कटौती की जायेगी तथा विषयवार कटौती किये गये पाठ्यक्रम के संबध में शीघ्र ही दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे।

7. विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन (INA) के अंक पूरे पाठ्यक्रम के आधार पर प्रदान किये जायेंगे अर्थात् INA के अंक प्रदान करते समय 30% कटौती किया गया पाठ्यक्रम भी ध्यान में रखा जायेगा।
   INA के लिए अंक विभाजन निम्न प्रकार से रहेगा:

   1. Online/Classroom उपस्थिति 75% और अधिक = 2 अंक
   2. 30% कटौती पाठ्यक्रम की 4 Assignments जोकि 25 अंक की होगी, में अर्जित अंक = 5 अंक (Pro rata basis)
   3. Ist Term, 2nd Term Pre Board में अर्जित अंक = 8 अंक (Pro rata basis)

   कुल अंक **=15**

8. विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश रद्ध रहेगा तथा दूसरे शनिवार का अवकाश भी नहीं होगा। इस बारे अधिसूचना शिक्षा विभाग अपने स्तर पर ज़ारी करेगा।

9. जब तक स्कूली शिक्षा आरम्भ नहीं होती तब तक विद्यार्थियों की पढ़ाई यथावत जारी रहेगी।

10. शैक्षणिक सत्र 2020–21 की वार्षिक परीक्षायें मार्च माह के अंतिम सप्ताह से आयोजित करवाई जायेंगी।

11. प्रायोगिक विषय की परीक्षायें लिखित परीक्षाओं के उपरान्त आयोजित करवाई जायेंगी, जिसका संचालन संबधिंत विद्यालय द्वारा आंतरिक रूप से किया जायेगा तथा बार्षिक परीक्षा 2020–21 के लिये प्रायोगिक विषयों में 30% पाठ्यक्रम में कटौती और 30% अधिक विकल्प प्रश्न पत्र में उपलब्ध करने हेतु संबधित स्कूल प्राधिकृत होगा।

12. शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों की वार्षिक परीक्षा भी ग्रीष्मकालीन विद्यालयों की परीक्षाओं के साथ आयोजित की जायेगी।

उपरोक्त प्रावधान केवल शैक्षणिक सत्र 2020–21 की वार्षिक परीक्षाओं के लिये मान्य रहेंगे।

सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः–यथोपरि। दिनांकः–यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित हैः–

1 वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री, हि0प्र0 सरकार।
2 सचिव(शिक्षा),हि0प्र0 सरकार,शिमला–2
3 निदेशक उच्चतर/प्रारम्भिक शिक्षा,. हि0प्र0 सरकार,शिमला–1
4 राज्य परियोजना निदेशक, ISSE हि0प्र0 सरकार,शिमला–1
5 समस्त उप निदेशक उच्चतर/प्रारम्भिक शिक्षा, हि0प्र0।
6 समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक/समन्वयक सरकारी एवं सम्बन्द्धता प्राप्त/निजी विद्यालय/एस0ओ0एस0 अध्ययन केन्द्र हि0प्र0।
7 विशेष निजी सचिव/निजी सहायक (अध्यक्ष/सचिव)
8 अतिरिक्त सचिव/समस्त उप/सहायक सचिव, हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड।
9 संयुक्त/उप नियन्त्रक, वित्त एवं लेखा/लेखा परीक्षा, हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड।
10 समस्त अनुभाग अधिकारी/ हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड।
11 जिला प्रबन्धक/प्रभारी पुस्तक वितरण केन्द्र, हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड।
12. अनुभाग अधिकारी, सामान्य शाखा को इस आश्य के साथ मामले को बोर्ड की आगामी बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत करे।
13. अनुभाग अधिकारी (IT Cell) हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड को बोर्ड की Website मे प्रकाशित करने के लिये।
14. लोक संपर्क अधिकारी, हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड।

सचिव।